#### SENSITIZATION OF THE STUDENTS AND EMPLOYEES OF THE INSTITUTION TO THE CONSTITUTIONAL OBLIGATION: VALUES, RIGHTS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CITIZENS

Fundamental Rights and Fundamental Duties as delineated in Indian Constitution are inscribed in the College so that students and employees would be sensitized about our rights and duties as responsible citizens.

Constitution Day was celebrated on 26th November 2022. An extension lecture was jointly organized by Ambedkar Study Centre and Political Science Department on" Constitutional Values and Fundamental Principles of the Constitution."

Various programs were held on National Voter Day (25 January 2023) to render the students and employees of the college into responsible citizens by Political Science Department. Students and employees took oath to exercise their franchise with responsibility. A voter registration camp as well as an Online Quiz was also organized on this occasion.

A Seminar was organized to commemorate Ambedkar Jayanti(13 April 2023) on' The Role Of Ambedkar as the Maker of the Indian Constitution' by Ambedkar Study Centre. Various speakers illuminated the exemplary contribution of Dr B.R.Ambedkar in the preservation of core constitutional values.

On the occasion of Panchayati Raj Diwas (24 April2023), a seminar was organized by Political Science department. Theme of the seminar was 'Role of Panchayat in Rural Development'.

# भारतीय संविधान की प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,

अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

amsung Quad Camera

DOO

सीजन्य राजनीतिविज्ञान विभाग

PREAMBLE OF THE CONSTITUTION OF INDIA

# भारतीय संविधान में वर्णित

## मूल अधिकार

## भाग – 3 में वर्णित अनु . 12 से 35 तक

प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि उसे

1. कानून के समक्ष समान समझा जाये, समाजिक जीवन में उनके साथ भेदभाव न किया जाये, राज्य के आधीन किसी पद पर नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाये (अपवाद-अनु.जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग)

2. विचार अभिव्यक्ति, शन्तिपूर्वक निःशस्त्र सभा करने, निवास करने व आजीविका चलाने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाये।

. एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाये व अपने विरूद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न किया जाये।

. जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वॅचित न किया जाये।

- . ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाये।
- . बिना कारण बताये गिरफ्तार न किया जाये।
- ३. जबरदस्ती बेगार श्रम के लिए बाध्य न किया जाये।
- . 14 वर्ष से कम आयु होने पर किसी जोखिम भरे व्यवसाय में न लगाया जाये।
- ४. अंतःकरण व धर्म की स्वतंत्रता दी जाये।
  - . धार्मिक मामलों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता दी जाये व उसके प्रबन्ध में लगी धनराशि पर कर देने के लिए बाध्य न किया जाये।
  - . राज्य विधि द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा न दी जाये व किसी विद्यार्थी ं को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए वाध्य न किया जाये।
  - 5. अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता दी जाये।
  - . एक अल्पसंख्यक नागरिक के रूप में उसे अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने व संचालित करने की स्वतंत्रता दी जाये।
  - 6. उपरोक्त किसी भी अधिकार का उल्लंघन होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने दिया जाये व उसके अधिकारों के उल्लंघन को रोका जाये।

(उपर्युक्त अधिकारों में से जीवन व वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार के अतिरिक्त सभी आपातकाल में स्थगित किए जा सकते हैं। व राज्य द्वारा उन पर उचित प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं)

राजनीतिविज्ञान विभाग

#### FUNDAMENTAL RIGHTS

## भारतीय संविधान में वर्णित

मूल कर्तव्य भाग – ४ के अनु . ५१ में वर्णित

प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह

 संविधान का पालन करें और उसमे निहित आदर्शो, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करें।

2. स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए व उनका पालन करें|

३. भारत की प्रभुता व अखण्डता की रक्षा करें।

4. देश की रक्षा करें व राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें।

5. देश के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास करें।

6. गौरवशाली सामाजिक – सांस्कृतिक परंपराओं का महत्व समझें व उन्नुका विकास करें।

७. प्राकृतिक पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण करें व उनका संवर्द्धन करें।


८. वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएँ तथा मानववाद और अन्वेषण की भावना का विकास करें।

९. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें।

- 10. व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत् प्रयास करें।
- 11. माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाये।

सौजन्य राजनीतिविज्ञान विभाग

### FUNDAMENTAL DUTIES



Scanned with CamScanner

1 Expt. No..... Date ..... Page No..... भतदाता 61121 रुकतीत रितस 25 जनवर 2024 ξ 0 ch रिह -10 51 5 121 . U रान 21427-21801 5 FISTUPUL 00 ch12(sh) (-112) उनायोजित गग 04-11 की. एला उनों की सारायता 6211-1 H 21 EI 8 लो भतनता anis 7 Ed Unchro 21 ant C/121, 31012 36 214 दात्र प्रतियो गिताए आयाजित Oh (5 10 गमी chl 91-11-14 2 . Seril. With Standal Ir II. P. Preston By 191 Teacher's Signature:

Scanned with CamScanner